

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।

सं० सं०-4/स्वा०प्रशि०-9-15/2015 ^{आदेश} 435(4) पटना, दिनांक- 8/3/19
स्वास्थ्य विभाग में कार्यों की अधिकता को देखते हुए राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित निम्नांकित स्वास्थ्य प्रशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 31.08.2019 तक की जाती है:-

क्रमांक	नाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रतिनियुक्त (कोषांग/प्रशाखा)
01.	श्री विजय कुमार	अति०प्रा०स्वा०केन्द्र, परवत्ता, खगड़िया	प्रशाखा-13
02.	श्री कृष्णा चौधरी	अति०प्रा०स्वा०केन्द्र, आधारपुर, गौराबौराम, दरभंगा	प्रशाखा-18
03.	श्री नरेन्द्र कुमार,	प्रा०स्वा० केन्द्र, परसौनी, सीतामढ़ी सम्प्रति प्रतिनियुक्त अपर सचिव कोषांग, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।	राज्य आयुष समिति
04.	श्री पवन कुमार	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शकुराबाद, जहानाबाद सम्प्रति प्रतिनियुक्त, प्रशाखा-11 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	राज्य आयुष समिति

2. सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को पत्र निर्गत के 48 घंटे के अंदर विरमित कर दिया जाय, अन्यथा स्वतः विरमित समझे जाएंगे।

3. प्रतिनियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान उनके मूल पदस्थापित प्रशाखा/कोषांग से उपलब्ध कराये गये अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर की जायेगी।

4. उक्त आदेश में प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग की सहमति प्राप्त है।

(डॉ० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

सं० सं०-4/स्वा०प्रशि०-9-15/2015

प्रतिलिपि-सभी उपरोक्त स्वास्थ्य प्रशिक्षकों/सभी संबंधित सिविल सर्जन/सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण) के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-04 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई०टी० मनेजर, स्वास्थ्य विभाग को निदेशित है कि इस आदेश को विभागीय साईड पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।